


मुन्तकिली प्रकरण सं० 29/2016 अनवानी 1-लालचंद 2-ताराचंद पि०
नथूराम जाति कुम्हार निवासी हरदासवाली तहसील सूरतगढ बनाम
1-जगमाल पुत्र ईसरराम जाति मेघवाल निवासी हरदासवाली तह०
सूरतगढ 2-जैसाराम पुत्र बेगाराम 3-रजीराम पुत्र गीगाशम 4-नथूराम
पुत्र शेराराम 5-नाहरसिंह पुत्र हाकम सिंह 6-अमूलवीरसिंह पुत्र
हाकमसिंह 7-उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ



06.09.2016

प्रार्थीगण के अभिभाषक श्री मोहनलाल माहर उपस्थित है।
अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं है। प्रार्थीगण के अभिभाषक को सुना गया एवं
पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थीगण ने यह मुन्तकिली प्रा० पत्र उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ
के न्यायालय में लंबित स्माल पेच आवंटन प्रकरण संख्या 27/2014
आवंटन प्रार्थना पत्र जगमाल वगैरा में निष्पक्ष न्याय न मिलने की
संभावना को लेकर अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने के लिए
यह मुकदमा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 54 भू राजस्व
अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड
अधिकारी, सूरतगढ को अन्यत्र स्थान पर लगाया जा चुका है। इसलिए
यह मुन्तकिली प्रा० पत्र निष्प्रभावी अर्थात् फलहीन हो गया है और
खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली
प्रा० पत्र निष्प्रभावी अर्थात् फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता
है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ को पालनार्थ भेजी
जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.09.2016 को मेरे द्वारा लिखाया
जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी.सी.किशन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

1581
9-5-16